न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	-	**नेहा वर्मा, आर.जे.एस.**
दाण्डिक प्रकरण संख्या	-	214/2014
सी.आई.एस.नम्बर	-	3410/2014
सी.एन.आर.नम्बर	-	RJKT16-000099-2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.	-	74/2014, पुलिस थाना - सीमलिया

राजस्थान राज्य बनाम राजेश

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट

-::: **निर्णय** :::- दिनांक 08-06-2026

प्रथम भाग

A.

फरियादी	राजस्थान सरकार
फरियादी की ओर से उपस्थित	विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर
अभियुक्त का नाम व विवरण	राजेश पुत्र कल्लु, निवासी हरिजन बस्ती कोटडा, थाना गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान।
अभियुक्त की ओर से उपस्थित	विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा

B.

अपराध की दिनांक	10-04-2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10-04-2014
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	15-05-2014
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	13-07-2015
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	13-07-2015
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	08-06-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	निल

C.

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	पारित दण्डादेश
1	राजेश	15-05-2015	15-05-2015	279, 337, 338, 304ए आईपीसी व	दोषमुक्ति	-

Authenticated Document

				146/196 एमवी एक्ट		

- द्वितीय भाग -

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के साक्षीगण की सूची ::

A.- अभियोजन साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डब्ल्यू. 01	हरलाल	फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी लाश साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	बंशीलाल	फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी लाश साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	कुंजबिहारी	फर्द पंचनामा साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	दिलखुश	फर्द पंचनामा साक्षी
पी.डब्ल्यू. 05	दिनेश	शिकायतकर्ता/फरियादी साक्षी
पी.डब्ल्यू. 06	राधेश्याम	मौके का साक्षी
पी.डब्ल्यू. 07	लालचंद	पंचनामा लाश साक्षी
पी.डब्ल्यू. 08	रईस मोहम्मद	नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू. 09	राजेन्द्र कुमार	फर्द डेमेज साक्षी
पी.डब्ल्यू. 10	अशोक कुमार	फर्द डेमेज साक्षी
पी.डब्ल्यू. 11	विक्की	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल साक्षी
पी.डब्ल्यू. 12	लोकेश पारेता	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल साक्षी
पी.डब्ल्यू. 13	चन्द्रप्रकाश	मौके का साक्षी

B.- बचाव साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
-	NIL	-

C.- न्यायालय साक्षीगण -

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)

Authenticated Document

-	NIL	-

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के प्रदर्श की सूची ::

A.- अभियोजन पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	पर्चा बयान
2	पुनः प्रदर्श पी-01	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक रमेश उर्फ पप्पू
3	प्रदर्श पी-02	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक रमेश उर्फ पप्पू
4	प्रदर्श पी-03	पुलिस बयान दिनेश
5	प्रदर्श पी-04	पुलिस बयान राधेश्याम
6	प्रदर्श पी-05	नक्शा मौका
7	प्रदर्श पी-06	पुलिस बयान रईस मोहम्मद
8	प्रदर्श पी-07	फर्द डेमेज मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसएल 5107
9	प्रदर्श पी-08	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसटी 0374
10	प्रदर्श पी-09	फर्द जप्ती एक केसिट
11	प्रदर्श पी-10	सीडी
12	प्रदर्श पी-11	चिट माल
13	प्रदर्श पी-12	पुलिस बयान चन्द्र प्रकाश

B.- बचाव पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

C.- न्यायालय पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

D.- भौतिक वस्तुएं -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 15-05-2014 को पुलिस थाना

सीमलिया द्वारा आरोप पत्र पेश किये जाने से हुआ, जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनेश ने दिनांक 10-04-2014 को इमरजेन्सी वार्ड बेड नं. 2 एमबीएसएच कोटा में दरयाफ्त पर पर्चा बयान किया कि वह मौजा खेडा करीम का रहने वाला है। वह व उसका दोस्त रमेश उर्फ पप्पू दोनों काम से सीमलिया जा रहे थे तो समय करीब 9.15 बजे सुबह वे टोल नाका सीमलिया पार किया तो उनकी मोटरसाइकिल बजाज XCD135 RJ20-SL-5107 के आगे एक मोटरसाइकिल चालक जिसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा RJ20-ST-0374 चल रही थी के चालक ने मोटरसाइकिल को गफलत लापरवाही एवं तेजगति से चलाकर एक दम दाईं तरफ मोड दी, जिससे उसकी मोटरसाकिल टकरा गई, जिससे वह व उसका साथी रमेश उर्फ पप्पु दोनों मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए व हीरो होण्डा चालक भी नीचे गिर गया, उसके बाद उसे व उसके साथ रमेश उर्फ पप्पु को टोल नाका की एम्बुलेंस में डालकर कोटा लेकर आ रहे थे तो रास्ते में रमेश की मृत्यु हो गई व उसके बाएं पैर में चोट है, दाएं पैर में पंजे व अंगलियों पर रगडनुमा चोट है। मोटरसाइकिल वह स्वयं चला रहा थ, रमेश उर्फ पप्पु पीछे बैठा था..........इत्यादि।

03. उक्त पर्चा बयान के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया द्वारा नियमानुसार मुकदमा नंबर 74/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त राजेश के विरुद्ध धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

04. तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त राजेश को अपराध धारा 279, 337, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन प्रारम्भ की गयी।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 13 को परीक्षित कराया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 लगायत प्रदर्श पी-12 के रूप में पेश कर प्रदर्शित कराते हुए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

06. तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता/313 सीआरपीसी के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, तत्पश्चात् प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई, परंतु दौराने

जिरह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा पुलिस बयान कन्हैयालाल को प्रदर्श डी 1 के रूप में पेश कर प्रदर्शित करवाया।

07. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य तर्क रहा कि प्रकरण का परिवादी दिनेश स्वयं प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा वह टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल के नं. याद न होना अपने बयानों में बताते हुए टक्कर देने वाले मोटरसाइकिल के चालक का नाम याद न होना बताता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में जिस गवाह को पेशकर परीक्षित करवाया है। उक्त गवाह भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित होकर अभियोजन कहानी के विपरीत कथन अपने बयानों में करता है। पत्रावली पर परीक्षित अन्य गवाह प्रकरण में बनाई गई फर्दों के गवाह होकर फर्दों के बाबत् कथन करते हैं। अभियोजन पक्ष स्वयं की ओर से पेश गवाहों के कथनों से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रकरण में तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक अभियुक्त राजेश हो, ऐसे में अभियुक्त उक्त अपरोध के आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है।

08. जिसके विरोध में अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

09. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक गंभीरता से अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है किः-

(i) **क्या अभियुक्त राजेश द्वारा दिनांक 10-04-2014 को सुबह समय लगभग 9.15 बजे, स्थान टोल नामा सीमलिया के पास, लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसटी 0374 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापित कर परिवादी दिनेश की मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसएल 5107 के टक्कर मारी, जिससे परिवादी दिनेश के साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे रमेश उर्फ पप्पू के गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु कारित हुई तथा वक्त दुर्घटना आपके द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के उक्त वाहन का चालन किया गया?**

(ii) क्या अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया? यदि हां तो, दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?

10. सर्वप्रथम हम विचारणीय बिन्दु संख्या एक के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराते हुए कुल 13 दस्तावेज

प्रदर्शित करवाये हैं, जिस समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार हैः-

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 01 हरलाल,** जो प्रकरण में फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी लाश का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह रमेश उर्फ पप्पु को जानता था। सन 2014 की बात है। सन 2014 में रमेश की मृत्यु हो गई थी पंचनामा प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 2 पर भी ऐ से बी उसके हस्ताक्षर है। लेकिन वह रमेश की मृत्यु होने पर एमबीएसएच कोटा नहीं गया था।

अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया, जिसने **जिरह** द्वारा एपीओ में इस सुझाव को अस्वीकार किया कि दिनांक 10.04.2014 को रमेश की मृत्यु होने पर एमबीएसएच कोटा गया और जहां पर पुलिस ने रमेश उर्फ पप्पु की लाश का प्रदर्श पी 1 बनाकर रमेश की लाश रमेश के पिता बनवारी को जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 के सुपुर्द किया हो।

लेकिन **जिरह अधिवक्ता अभियुक्त** में उक्त गवाहों ने कथन किया कि **फर्द प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 उसे पढकर नहीं सुनाया और उसने भी नहीं पढा। यह बात सही है कि पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। किस बाबत् किये उसे याद नहीं। उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।**

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 02 बंशीलाल,** जो फर्द पंचनामा व सुपुर्दगी लाश का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह रमेश उर्फ पप्पु को जानता था, जिसकी एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर वह एमबीएसएच कोटा गया था, जहां पुलिस ने रमेश की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है बाद पोस्टमार्टम रमेश की लाश बनवारी को सुपुर्द की थी, जिसकी फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने बताया कि फर्द प्रदर्श पी 1 पंचनामा उसे पढकर नहीं सुनाया और उसने भी नहीं पढ़ा। यह बात सही है कि पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। किस बाबत् किये उसे याद नहीं। उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 03 कुंजबिहारी व पी.डब्ल्यू. 04 दिलखुश,** जो पंचनामा लाश के साक्षी हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए कि रमेश की मृत्यु आज से 10 से 11 साल पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर वे एमबीएसएच कोटा गए थे, जहां पुलिस ने रमेश की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाहों ने बताया कि **फर्द प्रदर्श पी 1 पंचनामा उन्हें पढकर नहीं सुनाया और उन्होंने भी**

नहीं पढा। यह बात सही है कि पुलिस वाले के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। किस बाबत् किये उन्हें याद नहीं। उनके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू. 05 दिनेश,** जो प्रकरण में शिकायतकर्ता/फरियादी साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात हैं वह और रमेश उसकी मोटरसाईकिल से एक्ससीडी आरजे 20 एसएल 5107 से सीमलिया जा रहे थे। टोल टेक्स सीमलिया पर बारां की तरफ से कोटा की तरफ एक मोटरसाइकिल उनके आगे चल रही थी तो उसने जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल से साइड से आगे निकलने लगा तो उसकी गाडी का बम्पर उसकी मोटरसाइकिल के अड गया और जिससे वह और रमेश गिर गए, जिससे उसके पैर के घुटने में फ्रेक्चर हो गया और रमेश भी नीचे गिर गया था, जिसे उठाया तो होश में नहीं था। रमेश के कहा लगी थी उसे पता नहीं है। सामने वाली मोटरसाइकिल खडी थी वो नहीं गिरे थे। उन्हें एम्बुलेंस में डालकर एमबीएसएच कोटा ले गए थे। पुलिस ने उसके अस्पताल में उसके बयान नहीं लिए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो उसके अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पुलिस वाले ने लिए थे। उसके अस्पताल में कोई बयान नहीं हुए थे। उसे टक्कर मारने वाली मोटरसाइकिल के नम्बर याद नहीं है और न ही उसने उसके नम्बर पुलिस को बताए। उसके कन्धे और घुटने में चोटे आयी थी, जिसका पुलिस ने मेडिकल करवाया था जो शामिल पत्रावली है।

सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को **पक्षद्रोही** घोषित कर किया गया, जिसने **जिरह** द्वारा एपीओ में इस सुझाव को अस्वीकार किया कि जिस दिन घटना हुई उस दिन ही दिनांक 10.04.2014 को पुलिस ने एमबीएसएच कोटा में उसके बयान लिए हों। यह सही है कि घटना 9 से 9:30 बजे की है, गाडी मैं ही चला रहा था। यह कहना गलत है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी समय टोल प्लाजा पर उसी समय एक औरत मोटरसाइकिल से गिर गई हो। यह कहना गलत है कि उनके सामने चल रही मोटरसाइकिल का चालक दूसरी तरफ की घटना को देखने लग गया हो। यह कहना गलत है कि जैसे ही में मोटरसाइकिल को क्रॉस करने लगा वैसे ही उसके सामने चल रही मोटरसाइकिल का चालक मोटरसाइकिल को उसकी तरफ लाया हो, जिससे उसकी मोटरसाइकिल उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई हो पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का ए से बी भाग गवाह को पढकर सुनाया गया गवाह ने बयान उसने पुलिस को नहीं देना जाहिर किया।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि **जिस मोटरसाइकिल से उन दोनों के बीच टक्कर हुई थी, उसे उस चालक का नाम याद नहीं है। उसके द्वारा पुलिस**

Authenticated Document

थाना सीमलिया में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी गई, किसने दर्ज करवायी उसे पता नहीं।

15. **गवाह पी.डब्ल्यू. 06 राधेश्याम व पी.डब्ल्यू. 13 चन्द्रप्रकाश,** जो प्रकरण में मौके के गवाह हैं, जिन्हें एपीओ के निवेदन पर न्यायालय द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उनके सामने घटना नहीं होने व घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होना जाहिर करते हैं।

16. **गवाह पी.डब्ल्यू. 07 लालचंद** जो प्रकरण में पंचनामा लाश का साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि बनवारी लाल के लडके रमेश की आज से लगभग 10-15 साल पहले एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गयी थी, जिस पर में एमबीएस कोटा गया था, जहां पुलिस ने रमेश की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 1 बनाया था, जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसे एक्सीडेन्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। वह तो सीधा अस्पताल गया था। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाये थे, किस पर करवाये उसे पता नहीं है जिस कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे वह उसे पढकर नहीं सुनाया गया। उस पर क्या लिखा था वह वह आज नहीं बता सकता।**

17. **गवाह पी.डब्ल्यू. 08 रईस मोहम्मद** जो प्रकरण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 व पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का औपचारिक साक्षी है, जिसे एपीओ के निवेदन पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं होना, नक्शा मौका के बारे में नहीं समझना, उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने का कथन किया है।

18. **गवाह पी.डब्ल्यू. 09 राजेन्द्र कुमार व पी.डब्ल्यू. 10 अशोक कुमार,** जो प्रकरण में फर्द डेमेज मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसएल 5107 के औपचारिक साक्षी हैं, जिन्हें एपीओ के निवेदन पर **पक्षद्रोही** घोषित किया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण व जिरह द्वारा एपीओ में अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाहों ने घटना की जानकारी नहीं होंने, उनके सामने एक्सीडेंट व पुलिस द्वारा लिखा पढी नहीं होना जाहिर किया।

19. **गवाह पी.डब्ल्यू. 11 विक्की** जो प्रकरण में फर्द जप्ती का साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह राजेश को जानता है, जिसकी सीबीजेड मोटरसाईकिल नंबर आरजे 20 एसटी 0374 को पुलिस ने

एक्सीडेन्ट के केस में उसके सामने जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। एक्सीडेन्ट सीमलिया टोल पर हुआ था।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसे फर्द जप्ती पढकर नहीं सुनायी। यह बात सही है कि पुलिस वालों ने कहा था कि इस पर साईन कर दो उस पर क्या लिखा था उसे पता नहीं है। उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। कौन से केस में हस्ताक्षर करवाये थे, उसे पता नहीं है। एक्सीडेन्ट उसके सामने नहीं हुआ। उसे पता नहीं है कि एक्सीडेन्ट कैसे हुआ किसकी गलती से हुआ।**

20. **गवाह पी.डब्ल्यू. 12 लोकेश पारेता** जो प्रकरण में फर्द जप्ती का साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह सीमलिया टोल प्लाजा पर काम करता है। लेकिन सन् 2014 में उसके सामने सीमलिया टोल पर किसी मोटरसाईकिल का एक्सीडेन्ट नहीं हुआ ना ही उसने कोई घटना देखी। पुलिस ने घटना के संबंध में टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरो की सीडी ली थी, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सीडी प्रदर्श पी 10 है, सीडी की कपडे की थैली पर कागज का चीट प्रदर्श पी 11 है, जिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि उसके हस्ताक्षर पुलिस ने किस पर करवाये उसे पता नहीं है, पुलिस वालों ने उसे कोई लिखपढी पढकर नहीं सुनायी। वे जितने कर्मचारी टोल पर काम करते थे, सबके हस्ताक्षर करवाये थे। उसके सामने कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ। उसने कोई घटना नहीं देखी। उसके हस्ताक्षर किस बात के करवये उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये।

➔ **धारा 279 भारतीय दंड संहिता का निष्कर्षः-**

21. **उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष को निम्न दो बिंदुओं को अवधारित करना है-**

1- क्या प्रकरण में तथाकथित वाहन अभियुक्त राजेश के द्वारा ही चलाया जा रहा था?

2- उक्त वाहन राजेश के द्वारा उपेक्षा तथा लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई है या नहीं?

उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों को स्वयं की ओर से पेश कर परीक्षित करवाया है, जिसमें प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू 5 दिनेश परिवादी तथा मजरूब है। उक्त गवाह प्रकरण में टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल के नंबर याद न होना बताते हुए प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है। साथ ही साथ उक्त गवाह पुलिस को स्वयं द्वारा दिये गए बयान प्रदर्श पी 3 से भी इन्कार करता है तथा

टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल पर चालक कौन था, उसका नाम याद न होना अपने बयानों में बताता है, ऐसे में उक्त गवाह प्रकरण में परिवादी तथा मजरूब होकर महत्वपूर्ण गवाह है, परंतु उक्त गवाह ने तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियक्त राजेश हो इस बाबत् कोई कथन अपने संपूर्ण बयानों में नहीं दिए हैं। इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू 6 राधेश्याम तथा पीडब्ल्यू 13 चन्द्रप्रकाश को अभियोजन पक्ष ने मौके के गवाह के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है, परंतु उक्त दोनों ही गवाह पक्षद्रोही घोषित होकर स्वयं के सामने कोई एक्सीडेंट न होना बताते हुए गवाह पीडब्ल्यू 6 राधेश्याम स्वयं के दिए गए पुलिस बयान से इन्कार करता है और न ही एक्सीडेंट करने वाले व्यक्ति को जानना बताता है। इसी प्रकार के बयान गवाह पीडब्ल्यू 13 ने दिए हैं। उक्त गवाह भी पुलिस को दिए गए बयान प्रदर्श पी 12 से इन्कार करता है और स्वयं के सामने कोई घटना घटित न होना तथा घटना की जानकारी न होना अपने बयानों में जाहिर करता है, ऐसे में उक्त दोनों गवाहों के कथनों के आधार पर भी प्रकरण में अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि किसी भी गवाह ने वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में स्थापित नहीं की है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 1 हरलाल, पीडब्ल्यू 2 बंशीलाल, पीडब्ल्यू 3 कुंज बिहारी, पीडब्ल्यू 4 दिलखुश तथा पीडब्ल्यू 7 लालचंद प्रकरण में बनाए गए फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 1 तथा अन्य विभिन्न फर्दों के गवाह होकर उक्त फर्दों के संबंध में साक्ष्य देते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 8 रईस मोहम्मद प्रकरण में बनाए गए नक्शा मौका व पीडब्ल्यू 9 राजेन्द्र कुमार तथा पीडब्ल्यू 10 अशोक कुमार प्रकरण में बनाए फर्द डेमेज प्रदर्श पी 7 तथा गवाह पीडब्ल्यू 11 विक्की तथा पीडब्ल्यू 12 लोकेश पारेता प्रकरण में बनाई गई फर्द जप्ती प्रदर्श पी 8 तथा पी 9 के संबंध में साक्ष्य देते हैं। प्रकरण के उक्त परीक्षित गवाह फर्दों के गवाह होकर फर्दों के संबंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देते हैं, ऐसे में धारा 279 आईपीसी के संदर्भ में यदि पत्रावली को देखा जाए तो प्रकरण के परिवादी तथा मौके के गवाहों ने अपने बयानों में इस कथन की ताईद नहीं की है कि उन्होंने दुर्घटना कारित करने वाल तथाकथित वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त राजेश को देखा हो। प्रकरण के गवाह पीडब्ल्यू 5 दिनेश, पीडब्ल्यू 6 राधेश्याम तथा पीडब्ल्यू 13 चन्द्रप्रकाश तीनों ही अपने बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियुक्त राजेश की पहचान प्रमाणित नहीं की है, ऐसे में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान युक्तियुक्त संदेह से परे पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है, ऐसे में धारा 279 आईपीसी का प्रथम बिंदू पत्रावली पर प्रमाणित नहीं है।

Authenticated Document

जहां तक धारा 279 आईपीसी के दूसरे बिन्दु का संबंध है, तो न्यायालय को यह देखना है कि **क्या उक्त वाहन अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या लापरवाही से चलाया था या नहीं?** तो इस संबंध में जहां अभियुक्त पक्ष वाहन चालक के रूप में अभियुक्त राजेश का होना ही अपनी साक्ष्य सामग्री से प्रमाणित नहीं कर पाया है, तो वहीं उक्त वाहन को उपेक्षा तथा लापरवाही से चलाए जाने का कथन स्वतः ही प्रमाणित नहीं माना जा सकता, ऐसे में अभियुक्त 279 आईपीसी के आरोप में भी दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

➔ **<u>धारा 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता का निष्कर्षः-</u>**

22. जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता का प्रश्न है तो चूंकि प्रकरण में परीक्षित गवाहान् ने एक्सीडेंट होने के कथन तो अपने बयानों में किए हैं, वहीं मजरूब दिनेश के साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें आना तो पत्रावली पर जाहिर आता है तथा मृतक रमेश उर्फ पप्पू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्द से भी उनकी मृत्यु होने की पुष्टि होती है, ऐसे में प्रकरण में मृतक रमेश उर्फ पप्पू के एक्सीडेंट से मृत्यु कारित होने व मजरूब दिनेश को साधारण एवं गंभीर उपहति कारित होने के तथ्य से तो इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु अभियोजन पक्ष तथा प्रकरण में परीक्षित गवाहान् अपने बयानों में यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उक्त वाहन अभियुक्त राजेश द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाकर दुर्घटना कारित की हो। जबकि दुर्घटना संबंधी अपराधों में न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रमाणित होना आवश्यक होता है कि दुर्घटना किस वाहन व किस चालक द्वारा कारित की गई है और यदि ऐसे वाहन अथवा वाहन चालक का कृत्य प्रमाणित हो जाता है, तो यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है कि उसी चालक ने वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करते हुए मजरूबान को टक्कर मारकर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की है तथा मृतक की मृत्यु कारित की है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष तथाकथित वाहन को अभियुक्त राजेश द्वारा उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाना ही प्रमाणित नहीं कर पाया है। हस्तगत प्रकरण में इस बाबत् साक्ष्य का नितांत अभाव रहा है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त राजेश के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता को साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त उक्त अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

➔ **<u>धारा 146/196 एमवी एक्ट का निष्कर्षः-</u>**

23. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 146/196 एमवी एक्ट का प्रश्न है तो उक्त के संबंध में भी पत्रावली पर कोई सुस्पष्ट साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है, ऐसे में अभियुक्त राजेश उक्त वर्णित अपराध के आरोप में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

Authenticated Document

24. अन्त में उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि क्या अभियुक्त राजेश द्वारा दिनांक 10-04-2014 को सुबह समय लगभग 9.15 बजे, स्थान टोल नामा सीमलिया के पास, लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसटी 0374 को तेज गति, लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापित कर परिवादी दिनेश की मोटरसाइकिल नं. आरजे 20 एसएल 5107 के टक्कर मारी, जिससे परिवादी दिनेश के साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे रमेश उर्फ पप्पू के गंभीर चोटें आने से उसकी मृत्यु कारित हुई तथा वक्त दुर्घटना आपके द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के उक्त वाहन का चालन किया गया। लिहाजा, अभियुक्त राजेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

-:: आदेश ::-

25. **परिणामस्वरूप राजेश पुत्र कल्लु, निवासी हरिजन बस्ती कोटडा, थाना गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान को आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 146/196 एमवी एक्ट में, सन्देह का लाभ प्रदान कर, दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तारीख पेशी के जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका प्रस्तुत करेगा।

प्रकरण में मुताबिक फर्द जप्ती जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल नं. आरजे आरजे 20 एसटी 0374 को सुपुर्दगीदारान को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो सुपुर्दगी पर बनी रहे। अतः बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

साथ ही प्रकरण में जप्त शुदा एक केसिट, बाद गुरजने मियाद अपील उक्त माल के निस्तारण हेतु संबंधित थानाधिकारी को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

26. निर्णय आज दिनांक 08-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Stenographer grade III
Digitally signed by VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Date: 2026.06.11 13:01:38 +0530

Authenticated Document